



UNCCD का COP16

प्रलिस के लिये:

[संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय](#), [ग्रेट ग्रीन वॉल \(GGW\) पहल](#), रियाद वैश्विक सूखा प्रतरीध भागीदारी, अनुकूलति फसलों और मृदा हेतु वजिन, पवतिर भूमि, [मरुस्थलीकरण](#), [भूमि क्षरण और सूखा \(DLDD\)](#), [रियो सममेलन](#), [संयुक्त राष्ट्र जलवायु परविरतन फरेमवरक अभिसमय \(UNFCCC\)](#), [जैवविधिता अभिसमय](#), [ग्रहीय सीमाएँ](#), [ग्रीनहाउस गैस](#), [कार्बन भंडार](#), [शुष्क अरल सागर](#), [साहेल](#), [सहारा](#), [आर्द्रभूमि](#)।

मेन्स के लिये:

मरुस्थलीकरण का बढ़ता खतरा एवं उससे नपिटने के उपाय।

[स्रोत: द हदि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के पक्षकारों का 16वाँ सम्मेलन (COP16) सऊदी अरब के रियाद में आयोजति हुआ, जसिमें लगभग 200 देशों ने भूमि पुनरुद्धार तथा सूखा प्रतरीधक क्षमता को प्राथमकिता देने की प्रतबिद्धता व्यक्त की।

- पहली बार UNCCD COP का आयोजन मध्य पूरव एवं उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में हुआ।

UNCCD COP16 के प्रमुख परिणाम क्या थे?

- वैश्विक सूखा फरेमवरक:** इसमें वैश्विक सूखा फरेमवरक की दशा में राष्ट्रों के परयासों पर प्रकाश डाला गया तथा **मंगोलिया में वर्ष 2026 में होने वाले COP17 तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य** रखा गया।
- वर्ततीय प्रतजिजाएँ:** मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण एवं सूखे से नपिटने के करम में **12 बलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक की धनराशि देने का संकल्प लिया गया।
 - रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियेंस पार्टनरशिप:** इसमें **80 कमज़ोर देशों** को सहायता देने के करम में **12.15 बलियन अमेरिकी डॉलर** की प्रतबिद्धता व्यक्त की गई, जसिमें अरब समन्वय समूह के 10 बलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।
 - ग्रेट ग्रीन वॉल (GGW) पहल:** अफ्रीका के नेतृत्व वाली **GGW पहल** के तहत साहेल परदृश्य के पुनरुद्धार हेतु **इटली से 11 बलियन यूरो तथा 22 अफ्रीकी देशों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिये ऑस्ट्रिया से 3.6 बलियन यूरो** प्राप्त करने पर प्रकाश डाला गया।
 - अनुकूलति फसलों और मृदाओं के लिये वजिन (VACS):** VACS पहल के लिये लगभग **70 बलियन अमेरिकी डॉलर** की घोषणा की गई।
 - VACS का लक्ष्य स्वस्थ मृदा में विधि, पौष्टिक तथा जलवायु-अनुकूलति फसलों के साथ **अनुकूल खाद्य प्रणालियों** का विकास करना है।
- स्थानीय लोग और स्थानीय समुदाय: स्थानीय लोगों एवं स्थानीय समुदायों के लिये कॉक्स का गठन** कया गया ताकयिह सुनश्चिति कया जा सके कउनके दृष्टिकोण तथा चुनौतियों का प्रतनिधित्व कया जा सके।
 - स्थानीय लोगों के फोरम** में प्रस्तुत पवतिर भूमि घोषणा, वैश्विक **भूमि एवं सूखा प्रबंधन** में अधिक भागीदारी पर केंद्रति है।
- Business4Land पहल:** यह [मरुस्थलीकरण](#), [भूमि क्षरण एवं सूखे \(DLDD\)](#) संबंधी चुनौतियों से नपिटने के करम में **नजी क्षेत्र के परयास, पर्यावरण, सामाजिक तथा शासन (ESG) रणनीतियों** सहति धारणीय वतित की भूमिका पर प्रकाश डालने पर केंद्रति है।
 - भूमि पुनरुस्थापन तथा सूखा रोकथाम हेतु वर्तमान में नजी क्षेत्र की वतितपोषण में **केवल 6% की भागीदारी** है।
- UNCCD का वजिज्ञान-नीति इंटरफेस (SPI): सभी पक्षों ने UNCCD के SPI को जारी रखने पर सहमति** (जसिकी स्थापना वर्ष 2013 में COP11 (बडिहोक, नामीबिया) में की गई थी) व्यक्त की ताकयि वैज्ञानिक नषिकर्षों को नरिणयकर्त्ताओं हेतु सफिराशियों के रूप में उपयोग कया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय

- **परिचय:** UNCCD तीन **रथियो सम्मेलनों** में से एक है, जसिमें **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC)** और **जैवविविधता पर अभिसमय** शामिल हैं।
- **उद्देश्य और महत्त्व:** UNCCD की स्थापना **वर्ष 1994** में भूमि की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिये की गई थी, जसिका उद्देश्य एक स्थायी भविय बनाना था।
 - इसमें फसल की कृषि, पलायन और संघर्ष सहित **भूमि क्षरण तथा सूखे** के परिणामों पर चर्चा की गई है।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य लक्ष्य **भूमि क्षरण को कम करना** और **भूमि की रक्षा करना** है ताकि सभी लोगों के लिये भोजन, जल, आश्रय तथा आर्थिक अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- **कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा:** यह मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिये **एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता** है।
- **सदस्यता:** इस सम्मेलन में **197 पक्षकार** हैं, जनिमें 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- **सिद्धांत:** यह **भागीदारी, साझेदारी और वकिंदरीकरण** के सिद्धांतों पर काम करता है।

इंटरनेशनल ड्रॉट रेज़लियिंस ऑब्जरवेटरी


- **इंटरनेशनल ड्रॉट रेज़लियिंस ऑब्जरवेटरी (IRDO)** पहला वैश्विक **AI-संचालित मंच** है जो देशों को गंभीर सूखे से निपटने के लिये उनकी क्षमता का आकलन करने और उसे बढ़ाने में मदद करता है।
- यह नवोन्मेषी उपकरण **इंटरनेशनल ड्रॉट रेज़लियिंस एलायंस (IDRA)** की एक पहल है।
 - IDRA एक वैश्विक गठबंधन है जो देशों, शहरों और समुदायों में सूखे से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिये राजनीतिक, तकनीकी एवं वित्तीय पूंजी जुटाने में मदद करता है।
 - इसे स्पेन और सेनेगल द्वारा **शरम अल-शेख** में UNFCCC के 27 वें सम्मेलन (COP27) में लॉन्च किया गया था।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

मरुस्थलीकरण क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

- **मरुस्थलीकरण:** मरुस्थलीकरण **भूमि क्षरण** का एक प्रकार है, जसिमें पहले से ही अपेक्षाकृत शुष्क भूमि क्षेत्र और अधिक शुष्क हो जाता है, जसिसे उत्पादक मृदा क्षीण हो जाती है तथा जल नकियों, जैवविविधता एवं वनस्पति आवरण नष्ट हो जाता है।
 - यह **जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, अत्यधिक चारण और असंवहनीय कृषि पद्धतियों** सहित कई कारकों के संयोजन से प्रेरित है।
- **वर्तमान स्थिति:**
 - **शुष्क भूमि का वसितार:** UNCCD की रिपोर्ट ' **2022-2023** ' के अनुसार, **1990** के दशक से पृथ्वी की **77.6%** भूमि शुष्कता का अनुभव कर रही है।
 - पृथ्वी की स्थलीय सतह (अंटार्कटिका को छोड़कर) का **40.6%** भाग शुष्क भूमि है, जो उत्पादक भूमि में तेज़ी से हो रही कमी को दर्शाता है।
 - **प्रभावित प्रमुख क्षेत्र:** यूरोप (इसकी 95.9% भूमि), ब्राज़ील के कुछ भाग, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और मध्य अफ्रीका में महत्त्वपूर्ण रूप से सूखे की प्रवृत्ति देखी जा रही है।
 - **अफ्रीका** और **एशिया** के कुछ भागों में पारस्थितिकी तंत्र का क्षरण तथा मरुस्थलीकरण हो रहा है, जसिसे जैवविविधता को खतरा है।
 - **अनुमानित भविय का प्रभाव:** अनुमानों से पता चलता है कि, सबसे खराब स्थिति में, सदी के अंत तक **5 अरब लोग** शुष्क भूमि पर रह सकते हैं और उन्हें मृदा के क्षरण, जल की कमी तथा पारस्थितिकी तंत्र के पतन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।


//



भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के नहितार्थ क्या हैं?

- ग्रहीय सीमाओं को खतरा: नौ में से सात ग्रहीय सीमाओं पर असंवहनीय भूमि उपयोग के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जैसा कि UNCCD की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है।
 - विश्व में स्वच्छ जल के उपयोग का 70%, वनों की कटाई का 80% तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 23% कृषि के कारण होता है।
- आर्थिक लागत: सूखे से विश्वभर में 1.8 बिलियन लोग प्रभावित होते हैं और सूखे से होने वाला आर्थिक नुकसान प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिससे कृषि, ऊर्जा और जल उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- सामाजिक लागत: जल की कमी और कृषि की बर्बादी के कारण मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
- खाद्य सुरक्षा: भूमि क्षरण से वैश्विक खाद्य आपूर्ति का छठा हिस्सा खतरे में पड़ सकता है, जिससे पृथ्वी के कार्बन भंडार का एक तिहाई हिस्सा समाप्त हो सकता है।
- प्राकृतिक आपदाओं से संबंध: शुष्कता के कारण, विशेष रूप से अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क जैव ईंधन में वृद्धि के कारण, बड़े पैमाने पर वनाग्नि जैसी घटनाएँ देखने को मिल रही हैं।
 - रेत और धूल के तूफान विशेष रूप से मध्य पूर्व में सामान्य होते जा रहे हैं।

नोट: नौ ग्रहीय सीमाएँ:



भारत में मरुस्थलीकरण की वर्तमान स्थिति:

- UNCCD के आँकड़ों अनुसार, वर्ष 2015-2019 तक भारत की कुल 30.51 मिलियन हेक्टेयर भूमि का क्षरण हुआ है।
 - इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2019 तक देश के **9.45% भू-भाग** का क्षरण हो चुका था। जो वर्ष 2015 में 4.42% था।
- भारत की कुल बंजर भूमि 43 मिलियन फुटबॉल के मैदानों के आकार के बराबर है।
- उस दौरान भूमि क्षरण से 251.71 मिलियन भारतीय, या देश की कुल जनसंख्या का 18.39% प्रभावित हुआ।
- वर्ष 2015 से 2018 तक देश में 854.4 मिलियन लोग सूखे के खतरे में थे।

आगे की राह:

- पुनर्वनीकरण एवं वनरोपण:
 - पुनर्वनरोपण: उज़्बेकस्तान के पुनर्वनरोपण कार्यक्रम के तहत अराल रेगस्तान के दस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्ष और झाड़ियाँ लगाई गई हैं तथा मट्टी को स्थिर करने एवं रेत के तूफानों को रोकने के लिये सूखा प्रतिरोधी ब्लैक सैक्सुअल शर्बस/झाड़ियाँ (Sarcobatus vermiculatus) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना है, जिसमें साहेल और सहारा क्षेत्र के 22 अफ्रीकी देश शामिल होंगे।
- कृषिवानिकी: वृक्षों को कृषि फसलों के साथ एकीकृत करने से मट्टी की उर्वरता में सुधार हो सकता है, जल संरक्षण तथा मट्टी का कटाव कम हो सकता है।
- जल प्रबंधन तकनीकें: वर्षा जल संचयन और ड्रिप सिंचाई से पौधों की जड़ों तक कुशलतापूर्वक पानी पहुँचाया जा सकता है, जिससे जल की कमी वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण तथा अपवाह को कम किया जा सकता है।
 - सूखा प्रतिरोधी फसलें लगाने से जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी कृषि की जा सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- आवास पुनर्स्थापन: आरद्रभूमि और नदी-तल जैसे प्राकृतिक आवासों का संरक्षण तथा पुनर्वास, जैवविविधता को पुनर्स्थापित करता है, मट्टी की नमी में सुधार करता है एवं मरुस्थलीकरण के वरिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की सहिष्णुता को बढ़ाता है।
- मूल कारणों पर ध्यान देना: वनों की कटाई, खराब भूमि प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसे मरुस्थलीकरण के कारणों पर ध्यान देना, साथ ही स्थिरता को बढ़ावा देने वाली नीतियों का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

मरुस्थलीकरण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण को कम करने के लिये कौन-सी प्रमुख रणनीतियाँ अपनाई जा

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. 'मरुस्थलीकरण को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention to Combat Desertification)' का/के क्या महत्त्व है/हैं?

1. इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।
2. यह विशेष/वशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिससे का नयितन सुलभ कराता है।
3. यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम (बॉटम-अप अप्रोच) के लिये प्रतबिद्ध है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c), केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न: नमिनलखिति अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर वचिर कीजिये: (2014)

1. खाद्य एवं कृषि के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि
2. मरुस्थलीकरण से नपिटने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
3. वशिव वरिसत सम्मेलन

उपर्युक्त में से कसिका/कनिका जैववविधिता पर प्रभाव पडता है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

????????

प्रश्न. मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायवकि सीमाएँ नहीं होती हैं। उदाहरणों सहति औचित्य सदिध कीजिये। (2020)

प्रश्न. पर्यावरण से संबंघति पारस्थितिकि तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परभाषा दीजिये। स्पष्ट कीजिये किकिसी प्रदेश के दीर्घोपयोगी वकिस (सस्टेनेबल डेवेलपमेंट) की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना कसि प्रकार महत्त्वपूर्ण है। (2019)